रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1988/अग्रहायण 3, 1910
No. 614] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1988/AGRAHAYANA 3, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

का० आ० 1100(अ)—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की, अर्थात्, तमिलनाडु में चीनी कारखानों से गन्ना शीरा की

बडी मात्राओं का परिशोधित स्पिरिट और पेय एल्कोहाल में परिवर्तन करने के लिए अपयोजन की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष में राजस्व की भारी हानि हुई है, जून, 1979 से आगे की अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य में और उससे केरल राज्य को और केरल राज्य में परिशोधित स्पिरिट की बडी मात्राओं के और अनुज्ञात मात्राओं से अधिक मात्राओं के अवैध संचलन की, तथा उससे संबंधित अभिकथित भ्रष्ट आचरणों की जांच करने के लिए, एक सदस्य, अर्थात्, उडीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस. के. रे से मिलकर बने जांच आयोग का अस्तित्वशील रहना अब और आवश्यक नहीं है।

2. अतः केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा और श्री एस. के. रे उक्त आयोग के सदस्य के पद पर नहीं रहेंगे।

[संख्या 375/11/81-ए.वी.डी. (IV)]

श्रीमती वी. एन. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 24th November, 1988

NOTIFICATION

S.O. 1100(E).—Whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the Commission of Inquiry consisting of a single member namely, Shri S. K. Ray, retired Chief Justice of Orissa High Court, which was appointed under the notification of Government of India in the late Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 488(E) dated the 10th June, 1981, to enquire into a definite matter of public importance, namely, diversion of large quantities of sugarcane molasses from sugar factories in Tamil Nadu for conversion into rectified spirit and potable alcohol, resulting in huge loss of revenue to the State exchequer, the illegal movement during the period from June, 1979 onwards, of huge quantities of rectified spirit, and in excess of the permitted quantities, in and from the State of Tamil Nadu to and in the State of Kerala, and the alleged corrupt practices relating thereto, is no longer necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declares that the said Commission shall cease to exist and Shri S. K. Ray shall cease to hold the office of the Member of the said Commission on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 375|11|81-AVD.IV]
SMT. B. SEN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988